उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़।

(राजस्व शाखा)

– आदेश –

झारखण्ड़ राज्य खाद्य सूरक्षा आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायत संख्या–9022020058 के माध्यम से आवेदक श्री संदीपक बेदिया, ग्राम–बीचा, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ के द्वारा जनवितरण प्रणाली के दुकानदार को निलंबित कर दिये जाने के बाद भी अबतक माह जुलाई–2019 का राशन का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित शिकायत दर्ज कराते हुए, उक्त समस्या का निराकरण हेतु अनुरोध किया गया है। झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 15(5) की उप धारा 1 के तहत् अंगीकृत करते हुए अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सुनवाई का निर्णय लिया गया तथा उभय पक्षों को नोटिस निर्गत की गई।

दिनांक 16.12.2020 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ के प्रतिनिधि के रूप में सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ उपस्थित हुए एवं अपीलार्थी श्री संदीपक बेदिया अनुपस्थित रहे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ के प्रतिनिधि ने उपस्थिति दर्ज कराते हुए उक्त शिकायत के आलोक में उल्लेख किया कि आवेदक एवं संबंधित जनवितरण प्रणाली के दुकानदार से वार्ता के उपरांत अविलम्ब उक्त माह का खाद्यान देने का निदेश दिया गया। आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि पूर्व में वे राशन लेने विक्रेता के दुकान पर नहीं गये थे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि के द्वारा वाद की कार्यावाई समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

तद्नुसार जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ को निदेश दिया जाता है कि 15 दिनों के अन्दर आवेदक को बकाया राशन की आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि के अनुरोध के आलोक में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्षों को भेजें।

16/12/2020

अपर समाहर्त्ता –सह–

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी रामगढ़।

ज्ञापांक 1879 / रा0 दिनांक 18 / 12 / 2020

प्रतिलिपिः– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– श्री संदीपक बेदिया, ग्राम–बीचा, थाना–पतरातू, जिला– रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

16/12/2020

अपर समाहर्त्ता –सह–

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी रामगढ़।

D2/Shams/Ltr/J.sir554